न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल श्रंखला न्यायालय सागर (म.प्र.)

जिला दमोह

रा.पु.क्र. R - 2049 - III/14

पे.ता.

26 JUN 2014

छोटेलाल उम्र 64वर्ष बल्द गोविन्द प्रसाद कुर्मी पेश कृषि निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी एम.आई.जी.8 तिली रोड सागर तह. व जिला सागर म.प्र. .....**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

मंजू उम्र 35वर्ष पति पवन विश्वकर्मा पेशा गृहणी निवासी वृन्दावन वार्ड अहमद नगर गोपालगंज सागर तहसील व जिला सागर म.प्र. .....**उत्तरवादी**

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पथरिया जिला दमोह म.प्र. के रा.प्र. क्र 3अ6 वर्ष 13–14 पक्षकार मंजू पति पवन विश्वकर्मा बनाम छोटेलाल बल्द गोविन्द प्रसाद कुर्मी में पारित अंतर्गत आदेश दिनॉक 07.05.10 से पीडित व दुखीत् होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

मामले के तथ्य–: अधिनस्थ न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता छोटेलाल की स्व.मॉ चिरोजाबाई बेबा गोविन्द प्रसाद कुर्मी के नाम से ग्राम बरधारी तहसील पथरिया जिला दमोह में भू.ख. नं. 293 है। अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के समक्ष उत्तरवादी/आवेदिका के द्वारा भूमि खसरा नं. 299 रकवा 5.14 हेक्टे पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए नामांतरण का आवेदनपत्र दिनॉक 10.01.14 को पेश किया था जिसके साक्ष्य में उत्तरवादी ने पेशी दिनॉक 22.03.14 को अपने मुख्यपरीक्षण का शपथपत्र पेश किया था और प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में उक्त कथन को सही बतलाया। इसके उपरांत उत्तरवादी ने साक्ष्य के दौरान एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र. भू रा.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि. 2059/III/15 ...... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-15	प्रकरण में आवेदक अभिभाषक उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय पथरिया जिला दमोह में भूमि सर्वे क्रमांक 293 का नामांतरण का जो आवेदन पत्र दिया गया है उसमें सर्वे नं. 293 के स्थान पर त्रुटि वश सर्वे क्रमांक 299 अंकित हो गया था, उक्त त्रुटि को सुधार जाने का आवेदन अनावेदिका द्वारा तह० न्यायालय के समक्ष अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC सहपठित धारा 32 म०प्र०भू-राजस्व संहिता का पेश किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर सर्वे क्रमांक 299 के स्थान 293 संशोधन करने की अनुमति देते हुए अपने आदेश दिनांक 7-5-14 से आवेदक (जो तह० न्यायालय में अनावेदक है) को आवेदक के साक्षियों के प्रतिपरीक्षण करने का एक और अंतिम अवसर दिये जाने का आदेश देते हुए प्रकरण दिनांक 19-5-14 को नियत किया गया। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी इस न्याया० में प्रस्तुत की गई। उक्त संबंध में आवेदक अभि० को ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि (अनावेदिका) इस न्याया० में अनावेदिका द्वारा अपने नामांतरण आवेदन पत्र [redacted] में अंकित तथ्य सर्वे नं. 299 को प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में सही बताया था ऐसी दशा में टाइपिंग त्रुटि को सही नहीं माना जाना चाहिए था ऐसी स्थिति में आलोच्य एवं विवादित आदेश निरस्त किया जावे तथा निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे। उक्त तथ्यों एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के अवलोकन तथा अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य एवं विवादित आदेश दिनांक 7-5-14 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश जारी न कर अंतरिम आदेश दिया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने अनुचित रूप से	

[कृ. प. उ.